[2022] 11 एस. सी. आर 692

के. अरुमुगा वेलैयाह

वी.

पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर.

(2012 की सिविल अपील संख्या 2564)

27 जनवरी, 2022

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई और

बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-न्यायिक-पंजीकरण अधिनियम, 1908। 17 - एक 'पीएस' की दो पत्नियाँ थीं-उनकी पहली पत्नी से, उनकी 4 बेटियाँ और एक बेटा (पहला प्रतिवादी) था और उनकी दूसरी पत्नी के माध्यम से उनके दो बेटे थे; दूसरा प्रतिवादी और दिवंगत 'एम'-दूसरे प्रतिवादी का बेटा वादी है-वादी ने कहा है कि उसे दिनांकित 26.01.1994 के तहत पीएस के एक-चौथाई हिस्से का अधिकार है।

वादी ने वाद अनुसूची संपत्तियों में अपने एक चौथाई हिस्से के विभाजन और अलग कब्जे की मांग की है-जिला मुन्सिफ ने वाद को खारिज कर दिया-प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपील और प्रति अपील को खारिज कर दिया-प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 1993 के एक पूर्व अपील वाद संख्या 37 में कहा कि वाद संपत्तियों को वर्ष 1964 में विभाजित किया गया था और पक्षकारों पर बाध्यकारी थे और इसलिए वादी द्वारा उसी राहत की मांग करते हुए एक नया मुकदमा दायर किया गया था। विचारणीय-उच्च न्यायालय ने 1993 के पूर्ववर्ती अपील वाद संख्या 37 में अभिनिर्धारित किया कि सभी संयुक्त परिवार की संपत्तियों को पीएस के पुत्रों के पक्ष में तीन शेयरों में विभाजित किया गया था-उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई थी और इसलिए विभाजन के संबंध में निष्कर्ष को अंतिम रूप दिया गया था-इसलिए, तत्काल वाद को न्यायिक निर्णय के सिद्धांत द्वारा वर्जित कर दिया गया था-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, इस बात पर विचार करने के लिए इंगित करें कि क्या वादी द्वारा दायर किया गया वाद 1993 के ए. एस. संख्या 37 दिनांक 23.03.1999 में पारित निर्णय और डिक्री के मद्देनजर वर्जित है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों और 1964 के अंत में 'एम' के बीच संयुक्त परिवार की संपत्तियों के संबंध में एक विभाजन प्रभावित हुआ था। इस संपत्ति का विभाजन वर्ष 1964 में पंचायतदारों द्वारा पारित एक पुरस्कार के आधार पर किया गया था।

उक्त दस्तावेज़ केवल भविष्य में कार्रवाई करने के लिए एक समझौता ज्ञापन/पारिवारिक व्यवस्था थी-उक्त दस्तावेज़ ने विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में परिवार की विशिष्ट संपत्तियों या संपत्तियों में अधिकार नहीं बनाए थे-इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। 17 (1) (ई) अधिनियम का-इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

तत्काल मामले के निष्कर्ष को कोई चुनौती नहीं दी गई है

अब तक पक्षकारों के बीच विभाजन और उसे अंतिम रूप मिल गया है-इसलिए, पैतृक/संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों का विभाजन 1964 में हुआ था और उस पर कार्रवाई की गई थी, विभाजन और वाद संपत्तियों के अलग कब्जे के लिए एक नया मुकदमा बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं था-वर्तमान मामले में न्यायिक निर्णय का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है-- उच्च न्यायालय को प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णयों की पुष्टि करने के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने में उचित ठहराया गया था।

वादी।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. प्रस्ताव के रूप में दिए गए पुरस्कार के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि किसी में भी कोई अधिकार नहीं बनाया गया था।

किसी भी व्यक्ति में संयुक्त परिवार की संपत्तियों की विशिष्ट वस्तु या संपत्ति लेकिन पक्षों ने एक के अनुसरण में कुछ कार्रवाई करने का संकल्प लिया

पारिवारिक व्यवस्था। इसलिए अनुलग्नक पी-10 (उदा. बी-13) संयुक्त परिवार की संपत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु में किसी भी पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया गया था। उक्त दस्तावेज जो

विशिष्ट व्यक्ति। इसलिए, अधिनियम की धारा 17 (1) (ई) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। [पैरा 23] [719-ए-सी] 2. कानून के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त पुरस्कार भविष्य में संपत्तियों को केवल इस प्रकार विभाजित करने की व्यवस्था थीः

विभाजन के एक वास्तविक विलेख से अलग, जिसके तहत न केवल स्थिति का विच्छेद होता है, बल्कि विशिष्ट संपत्तियों में मेट्स और सीमाओं द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्तियों का विभाजन भी होता है। इसलिए इसे अधिनियम की धारा 17 (2) (v) के तहत पंजीकरण से छूट दी गई थी। विभाजन का एक दस्तावेज जो एक को प्रभावी बनाने के लिए प्रदान करता है

भविष्य में संपत्तियों के विभाजन को पंजीकरण से छूट होगी। धारा 17 (2) (v) के तहत। ऐसे मामले में परीक्षण यह है कि क्या दस्तावेज़ स्वयं किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में रुचि पैदा करता है।

संपत्ति या केवल स्वामित्व का दूसरा दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार बनाता है। यदि कोई दस्तावेज़ अपने आप में [2022] 11 एस. सी. आर. में अधिकार या हित नहीं बनाता है।

अचल संपत्ति, लेकिन केवल एक अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने का अधिकार बनाता है, जो निष्पादित होने पर राहत का दावा करने वाले व्यक्ति में एक अधिकार पैदा करेगा, पूर्व दस्तावेज़ को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है

और तदनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है। [पैरा 24] [720-ए-डी]

अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के अनुसार उक्त दस्तावेज के तहत किसी भी विशिष्ट संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में अधिकारों का सृजन नहीं किया गया था। [पैरा 25] [720-डी-ई] 3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तत्काल मामले में बीच विभाजन के निष्कर्ष को कोई चुनौती नहीं दी गई है

आज तक पक्षकारों ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। यह न्यायालय यह नहीं सोचता है कि अपीलार्थी असरार अहमद के फैसले पर भरोसा कर सकता है। इसलिए, पैतृक/संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों का विभाजन 1964 में हुआ था और उस पर कार्रवाई की गई थी, विभाजन के लिए एक नया मुकदमा और सूट संपत्तियों का अलग कब्जा बिल्कुल नहीं था।

बनाए रखने योग्य। रेस जुडिकेटा का सिद्धांत वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू होता है। इस न्यायालय का मानना है कि उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णयों की पुष्टि करने में उचित था साथ ही निचली अदालत ने अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है। [पैरा 29 और 31] [721-ई-एफ; 723-बी]

शिरोमणि और ओआरएस। वी. हेम कुमार और ओआरएस। [1968] 3

एस. सी. आर. 639-लागू नहीं होता है।

मोहनलाल गोयनका बनाम बिनॉय किशना मुखर्जी आकाशवाणी

1953 एससी 65: [1953] एस. सी. आर. 377; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। हेमंत कुमार भट्टाचार्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1061:

[1963] पूरक। एससीआर 542; सतीश कुमार और अन्य। वी. सुरिंदर कुमार और अन्य। [1969] 2 एस. सी. आर. 244; चंपालाल

बनाम एमएसटी। समर्थ बाई [1960] 2 एस. सी. आर. 810; काशीनाथसा यमोसा कबदीव। नरसिंह भास्कर कबाड [1961] 3 एस. सी. आर. 792; काले और अन्य। वी. उप निदेशक समेकन [1976] 3 एस. सी. सी. 119:

[1976] 3 एस. सी. आर. के. अरुमुगा वेलैयाह बनाम। पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर.

202 ; मथुरा प्रसाद सरजू जैसवाल बनाम। दोसीबाई एन. बी.

जीजीभॉय एयर 1971 एससी 2355: [1970] 3 एससीआर 830;

रविंदर कौर ग्रेवाल और अन्य। वी. मंजीत कौर और

ओआरएस। [2020] 9 एस. सी. सी. 706 रिपुदमन सिंह बनाम टिक्का

महेश्वर चंद [2021] 7 एस. सी. सी. 446-पर भरोसा किया।

शिरोमणि और ओआरएस। वी. हेम कुमार और ओआरएस। [1968] 3

एस. सी. आर. 639 12; सतीश कुमार और अन्य। वी. सुरिंदर कुमार और ओआरएस। [1969] 2 एस. सी. आर. 244; लक्ष्मण दास बनाम राम।

लाल [1989] 3 एससीसी 99 12: [1989] 2 एस. सी. आर. 250; काले और

ओआरएस। वी. समेकन उप निदेशक [1976] 3 एस. सी. सी. 119 [1976] 3 एस. सी. आर. 202; भूप सिंह बनाम। राम सिंह

मेजर और ओआरएस। [1995] 5 एससीसी 709: [1995] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 466 16; रविंदर कौर ग्रेवाल और अन्य। वी. मंजीत

कौरंद ओआरएस। [2020] 9 एस. सी. सी. 706; रिपुदमन सिंह बनाम

टिक्का महेश्वर चंद [2021] 7 एससीसी 446; लक्ष्मण

दास वी। राम लाल [1989] 3 एस. सी. सी. 99: [1989] 2 एससीआर 250;

रतन लाल शर्मा बनाम। पुरुषोत्तम हरित [1974] 3 एससीआर

109 ; भूप सिंह बनाम। राम सिंह मेजर और अन्य। [1995]

5 एससीसी 709 [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 466; नानी बाई बनाम

गीता बाई [1959] 1 एस. सी. आर. 479-संदर्भित।

असरार अहमद बनाम। दरगाह समिति, अजमेर, आकाशवाणी 1947

पी. सी. 1; रामास्वामी अय्यर और अन्र। वी. तिरपति नाइक आईएलआर

27 मैड 43; रंजनम अय्यर बनाम। रंजंगम अय्यर आकाशवाणी

1922 पी. सी. 266-संदर्भित।

[1968] 3 एस. सी. आर. 239

पैरा

12 (ए)

संदर्भित किया गया है

[1969] 2 एससीआर 244

पैरा

12 (बी)

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 एससीआर 250

पैरा

12 (सी)

संदर्भित किया गया है

पैरा

16 (ए)

[1976] 3 एससीआर 202

संदर्भित किया गया है

[1995] 3 पूरक। एससीआर 466

पैरा

16 (बी)

संदर्भित किया गया है

[2020] 9 एस. सी. सी. 706

पैरा

16 (सी)

संदर्भित किया गया है

[2021] 7 एस. सी. सी. 446

पैरा

16 (डी)

संदर्भित किया गया है

[1968] 3 एस. सी. आर. 239

पैरा

21 (ए)

लागू न

होने योग्य [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 एससीआर 479

पैरा 21 (ए)

संदर्भित किया गया है

[1959]

[1969] 2 एससीआर 244

पैरा 21 (बी)

उस पर भरोसा करें

[1960] 2 एससीआर 810

पैरा 21 (बी)

उस पर भरोसा करें

[1961] 3 एससीआर 792

पैरा 21 (बी)

उस पर भरोसा करें

[1989] 2 एससीआर 250

पैरा 21 (सी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 21 (सी)

[1974] 3 एससीआर 109

संदर्भित किया गया है

[1976] 3 एससीआर 202

उस पर भरोसा करें

पैरा 22 (ए)

[1995] 3 पूरक। एससीआर 466

पैरा 22 (बी)

संदर्भित किया गया है

[2020] 9 एस. सी. सी. 706

उस पर भरोसा करें

पैरा 22 (सी)

[2021] 7 एस. सी. सी. 446

पैरा 22 (डी)

उस पर भरोसा करें

[1970] 3 एससीआर 830

पैरा 30 (ए)

उस पर भरोसा करें

[1953] एससीआर 377

पैरा 30 (बी)

उस पर भरोसा करें

[1963] पूरक। एससीआर 542

उस पर भरोसा करें

पैरा 30 (सी)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.2564

2012 .

उच्च न्यायालय के 06.08.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2007 के एस. ए. No.92 में मदुरै पीठ में मद्रास विश्वविद्यालय से।

वी. प्रभाकर, सुश्री ज्योति पराशर, एन. जे. रामचंदर, श्रीमती रेवती

राघवन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना, जे.

2004 के मूल वाद संख्या 101 में वादी ने आरोप लगाया है -

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2007 को 2007 की दूसरी अपील संख्या 92 में पारित निर्णय और डिक्री, जिसके द्वारा 2005 के अपील सूट संख्या 38 में प्रथम अपीलीय न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायाधीश, देवकोट्टई के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, जिला मुन्सिफ न्यायालय, देवकोट्टई द्वारा उपरोक्त मुकदमे को खारिज करने की पुष्टि करती है, को कायम रखा गया है।

मुगा वेलैयाह बनाम। पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

आर सुविधा के लिए इसमें पक्षकारों को उनके पद और स्थिति के बारे में विचारण न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा।

वादी के मामले को संक्षेप में इस प्रकार बताया गया हैः

मारिमुथु सर्वाई। पेरियैया सर्वई के तीन बेटे थे, जो पहले और दूसरे प्रतिवादी थे और मारिमुथु, जो अब जीवित नहीं है और जिसकी पत्नी पूमायिल की भी मृत्यु हो गई है। वादी, प्रथम और द्वितीय प्रतिवादी और स्वर्गीय मारिमुथु के पास संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों में एक-चौथाई हिस्सेदारी है। उस पेरियैया सर्वई की अपनी पहली पत्नी, वीरमकली अम्मल (मृत होने के बाद से) के माध्यम से चार बेटियाँ और एक बेटा था, जो पहला प्रतिवादी था, जिसका नाम पी. आर. रामासामी था। अपनी दूसरी पत्नी, कलियम्मल के माध्यम से, पेरियैया सर्वई के दो बेटे थे, जो दूसरे प्रतिवादी थे, नामतः पी. आर. कासिलिंगम और

मारिमुथु। दूसरे प्रतिवादी का बेटा, के. अरुमुगा वेलैया वादी है।

और शेष आधे हिस्से को दूसरे प्रतिवादी और वादी के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना है। कि पहले प्रतिवादी ने मुकदमा अनुसूची संपत्तियों में वादी के हिस्से पर आपत्ति जताते हुए एक कानूनी नोटिस भेजा, जो संयुक्त पारिवारिक संपत्तियां हैं। इसलिए, वादी को विभाजन और अलग अधिकार के लिए मुकदमा दायर करने के लिए विवश किया गया है। वादी ने दावा किया है कि उसके पास 26 जनवरी, 1994 की वसीयत के तहत पेरियैया सर्वई के एक-चौथाई हिस्से का अधिकार है, जो पेरियैया सर्वई के निधन पर 25 मार्च, 2003 को लागू हुआ था। उपरोक्त कथनों के साथ वादी ने वाद अनुसूची संपत्तियों में अपने एक-चौथाई हिस्से के विभाजन और अलग कब्जे की मांग की है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वाद के जवाब में, पहले प्रतिवादी ने अपना लिखित आवेदन दायर किया

हिच को निम्नानुसार समाहित किया गया हैः

26 जनवरी, 1994 (ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहले प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में वसीयत की तारीख 24 जनवरी, 1994 का उल्लेख किया गया है) को मन और स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति में अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्गीय पेरियैया मुकदमे की संपत्तियों में सरवाई का हिस्सा था, लेकिन यह तथ्य कि वे वसीयत द्वारा वादी को दिए गए थे, गलत है। ऐसा माना जाता है कि पेरियैया सर्वई और उनके भाई मुथु सर्वई एक संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे थे और पेरियैया सर्वई एक संयुक्त परिवार था।

परिवार का कर्ता। अविभाजित पैतृक संपत्तियों की आय से, पेरियैया सर्वई के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी गईं क्योंकि वह परिवार का कर्ता था। भाइयों के बीच एक पंजीकृत विभाजन विलेख के तहत विभाजन हुआ था। सह-कैदी तब विभाजित हो गए। कि 1964 में पेरियैया सरवाई ने बदले में संयुक्त परिवार की संपत्तियों के अपने हिस्से को तीन भागों में विभाजित कर दिया, अर्थात।

पहले और दूसरे प्रतिवादियों और दिवंगत मारिमुथु के बीच और वे तब से संपत्तियों का आनंद ले रहे हैं। उस विभाजन में पेरियैया सरवाई को कोई हिस्सा आवंटित नहीं किया गया था। पेरियैया सर्वई के रखरखाव के लिए एक समझौता

जीवन भी बनाया गया। मारिमुथु की अचानक मृत्यु हो गई और संपत्तियों में उनके हिस्से का आनंद उनकी पत्नी पूमायिल ले रही थीं।

पेरियैया सर्वई 1991 में 93 वर्ष के थे और अपनी वृद्धावस्था के कारण अपने दम पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। वह दूसरे प्रतिवादी की इच्छा के अनुसार काम कर रहा था।

और कलियम्मल जो पेरियैया सरवाई की दूसरी पत्नी थी। दूसरे प्रतिवादी ने अपने पिता की उम्र और खराब स्वास्थ्य का फायदा उठाते हुए देर से संपत्ति हासिल करने की कोशिश की।

पूमायिल। 1991 का ओ. एस. सं. 347 पेरियैया सरवाई के नाम से जिला मुन्सिफ न्यायालय की फाइल पर दायर किया गया था।

देवकोट्टई, झूठे और तुच्छ आधारों पर। उस मुकदमे में उन्होंने संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों को स्वर्गीय पेरियैया सर्वई की स्वतंत्र संपत्तियों के रूप में दिखाया था और कहा था कि उक्त संपत्तियों को पेरियैया सर्वई की व्यक्तिगत आय से खरीदा गया था। उस मुक़दमे में, मुगा वेलाह v का अधिकार और आनंद।

पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

स्वर्गीय पेरियैया सरवाई और उनके भाई द्वारा संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्तियों के साथ-साथ उनके बीच विभाजन को भी दबा दिया गया था। उक्त मुकदमे में यह और दबाया गया कि वर्ष 1964 में पंचायतदारों के समक्ष एक विभाजन हुआ और विभाजित संपत्तियों का आनंद स्वर्गीय पेरियैया सर्वई, प्रथम और द्वितीय प्रतिवादियों और मरीमुथु ने लिया। उपरोक्त मुकदमे में, मरीमुथू की विधवा, पूमायिल ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन जिला मुन्सिफ अदालत ने उक्त विभाजन को ध्यान में रखे बिना कहा कि संपत्तियां अविभाजित पैतृक संयुक्त पारिवारिक संपत्तियां थीं। उसी से व्यथित दूसरा प्रतिवादी

1993 के ए. एस. सं. 37 में अपील की गई। स्वर्गीय पूमायिल ने भी 1993 के ए. एस. नंबर 37 में एक प्रति अपील दायर की थी। उक्त मुकदमे को वर्ष 1995 में निचली अदालत में भेज दिया गया था। रिमांड के आदेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की गई, जिसने 1993 के ए. एस. संख्या 37 को बहाल करके मामले को उप-न्यायालय, देवकोट्टई को भेज दिया। उक्त अपील का निपटारा 23 मार्च को किया गया था।

1999 यह निष्कर्ष निकालकर कि मुक़दमे की संपत्तियाँ पैतृक संपत्तियाँ थीं जिन्हें दोनों के बीच विभाजित किया गया था

वसीयत के तहत पहले प्रतिवादी को पति की संपत्ति और वह उसकी मृत्यु के बाद संपत्तियों का आनंद ले रहा था। कि 26 दिसंबर, 1988 को पेरियैया सर्वई ने सत्यमंगलम गाँव में सीनियर नंबर 181/1 और 181/3 में संपत्तियों के संबंध में दो इनाम निपटान विलेख लिखे। 1991 का ओ. एस. सं. 376, वादी द्वारा निपटान विलेख के विरुद्ध, जिला मुन्सिफ न्यायालय, देवकोट्टई की फाइल पर दायर किया गया था। उक्त वाद खारिज कर दिया गया और उक्त वाद में निर्णय और डिक्री की पुष्टि 1994 के ए. एस. नंबर 38 में की गई।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

कि चूंकि इसमें वादी को उक्त मुकदमे के तहत लाभ नहीं हुआ था, इसलिए उसने दूसरे प्रतिवादी की मदद से विवादित वसीयत तैयार की जैसे कि यह पेरियैया सरवाई की वसीयत थी। कहा जाता है कि उस अवधि के दौरान जब वसीयत को निष्पादित किया गया था, पेरियैया सर्वई बिस्तर पर थे और समझदार नहीं थे और एक कैदी थे। कि पेरियैया सर्वई को निष्कासन के सिद्धांत के आधार पर, पैतृक संपत्तियों के संबंध में वसीयत बनाने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, विशेष रूप से ओ. एस. सं. 347/1991 में निर्णय के बाद। कि मुकदमा परेशान करने वाला तब दायर किया गया था जब पहले प्रतिवादी ने मनगढ़ंत वसीयत के आधार पर पट्टा के हस्तांतरण पर आपत्ति जताई थी। चूंकि स्वर्गीय पेरियैया सरवाई समझदार और स्वस्थ नहीं थे और उन्हें वादी के परिवार द्वारा एक कैदी के रूप में माना गया था और दूसरे प्रतिवादी ने 2003 के एचसीपी संख्या 457 में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रतिवादी द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई से पहले, पेरियैया सर्वई की मृत्यु हो गई और इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके द्वारा दबाव नहीं डाला गया था।

पहला प्रतिवादी। कि तत्काल मुकदमे में शिकायत पहले प्रतिवादी से धन उगाही करने के उद्देश्य से दायर की गई थी। प्रथम प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि वादी द्वारा विभाजन और अलग कब्जे के लिए दायर किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया जाए।

जिला मुन्सिफ अदालत, देवकोट्टई ने अपने फैसले और 7 अप्रैल, 2005 को ओ. एस. नं. 101 के मुकदमे को खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय के अन्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

ट्रायल कोर्ट ने नोट किया कि प्रतिवादी ने ओ. पी. नं. दायर किया था।

7 जिला मुन्सिफ न्यायालय की फाइल पर 1992 का,

देवकोट्टई ने इस घोषणा के लिए प्रार्थना की कि पेरियैया सर्वई, प्रतिवादियों और मारिमुथु के बीच वर्ष 1964 में निष्पादित किया गया विभाजन विलेख अमान्य था। उक्त वाद को इस आशय की घोषणा के साथ घोषित किया गया था कि वर्ष 1964 में निष्पादित किया जाने वाला विभाजन विलेख एक अपंजीकृत दस्तावेज था और इसलिए,

अमान्य है। विचारण न्यायालय ने यह भी नोट किया कि पेरियैया सरवाई द्वारा दायर 1991 के ओ. एस. सं. 347 में, जिला मुन्सिफ न्यायालय, मुगा वेलाह बनाम।

पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

देवकोट्टई ने फैसला सुनाया कि संबंधित संपत्तियों में से

पेरियैया सर्वई, उनके तीन बेटे, जो इसमें प्रतिवादी हैं और स्वर्गीय मारिमुथु, प्रत्येक एक-तिहाई हिस्से के हकदार होंगे। 1991 के ओ. एस. सं. 347 में निर्णय और डिक्री की अपील में, 1993 के ए. एस. सं. 37 में पहली अपीलीय अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि वर्ष 1964 में एक वैध विभाजन किया गया था जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि पेरियैया सर्वई और उनके प्रत्येक बेटे द्वारा कोई भी हिस्सा नहीं रखा जाना था।

मुक़दमे की संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से का हकदार। 1992 के ओ. पी. सं. 7 और 1993 के ए. एस. सं. 37 में पारित विरोधाभासी फरमानों को देखते हुए, विचारण न्यायालय ने निर्णय दिया

कि केवल बाद वाला फरमान ही लागू करने योग्य होगा।

यह कि वर्ष 1964 में निष्पादित विभाजन विलेख कानून की नजर में वैध था और इस तरह की वैधता की पुष्टि उप-न्यायालय, देवकोट्टई द्वारा 1993 के ए. एस. संख्या 37 में की गई थी। चूंकि विभाजन विलेख की वैधता से जुड़े प्रश्नों को अंततः सुलझा लिया गया था, इसलिए मुकदमे को विवाद के सिद्धांत द्वारा रोक दिया गया था।

न्यायपालिका।

1993 के ए. एस. संख्या 37 में निर्णय के अनुसार, पेरियैया सरवाई को संपत्ति में कोई हिस्सा आवंटित नहीं किया गया था और

इसे दो प्रतिवादियों और मारिमुथु के पक्ष में तीन बराबर भागों में विभाजित किया गया था। कि वर्ष 1964 में विभाजन के बाद पेरियैया सर्वई का उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था और इसके परिणामस्वरूप उन्हें मुकदमे की संपत्तियों के संबंध में वसीयत निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था।

वादी। कि वादी मुकदमे की संपत्तियों में एक-चौथाई हिस्से का हकदार नहीं है जैसा कि उसने अनुरोध किया है। कि प्रतिवादी 1964 में प्रभावित विभाजन के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के मुकदमे की संपत्तियों के अपने हिस्से का आनंद लेने के हकदार थे।

पीड़ित होकर, वादी ने 2005 की ए. एस. संख्या 38 को प्राथमिकता दी।

प्रथम अपीलीय न्यायालय। 17 फरवरी, 2006 के निर्णय द्वारा और प्रति अपील को खारिज कर दिया गया और उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय की पुष्टि की गई। संबंधित निष्कर्ष

न्यायालय को निम्नानुसार समाहित किया गया है:

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी के साक्ष्य को डी. डब्ल्यू.-1 माना। अपनी प्रतिपरीक्षा में डी. डब्ल्यू.-1

कहा गया था कि वर्ष में एक विभाजन किया गया था

1964 , जिसमें मुकदमे की संपत्तियों को पेरियैया सर्वई के तीन बेटों यानी पहले और दूसरे प्रतिवादियों और मरीमुथु के बीच विभाजित किया गया था। कि विभाजन विलेख के निष्पादन के बाद पेरियैया सरवाई के बेटों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पट्टा प्राप्त नहीं किया गया था, हालाँकि वे अपनी-अपनी संपत्तियों के संबंध में किस्ट का भुगतान कर रहे थे। इस परिस्थिति में, पहली अपीलीय अदालत ने माना कि यह तथ्य कि प्रतिवादियों ने व्यक्तिगत रूप से पट्टा प्राप्त नहीं किया था

मुकदमे की संपत्तियों में उनके संबंधित शेयरों के लिए, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि पेरियैया सर्वई ने नहीं किया था

मुकदमे की संपत्तियों को अपने बेटों के पक्ष में विभाजित कर दिया।

कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा भुगतान की गई किस्ट रसीदें

(ख)

वर्ष 1964 में, मुकदमे की संपत्तियों के अपने हिस्से के संबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पहला प्रतिवादी लाभ उठा रहा था

में प्रभावित विभाजन के माध्यम से उसे आवंटित संपत्तियाँ

1964 का वर्ष।

चूंकि विभाजन पेरियैया सर्वई और के बीच प्रभावित हुआ था

iii)

वर्ष 1964 में उनके बेटों, जिसके तहत मुकदमे की अनुसूची संपत्तियों को पहले और दूसरे प्रतिवादियों और स्वर्गीय मारिमुथु के बीच विभाजित किया गया था, और कोई संपत्ति नहीं थी

पेरियैया सर्वई के पक्ष में विभाजित, उन्हें मुकदमे के संबंध में बाद में वसीयत निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था संपत्तियाँ। इसलिए 26 जनवरी, 1994 की वसीयत एक वैध दस्तावेज नहीं है।

कि वादी एक-चौथाई हिस्से पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता था

(iv)

26 जनवरी, 1994 की वसीयत के आधार पर वाद संपत्तियों की और इसलिए विचारण न्यायालय ने सही ढंग से खारिज कर दिया

वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा।

7. पीड़ित होने के कारण, वादी ने दूसरी अपील संख्या 92 को प्राथमिकता दी।

07 मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष। के द्वारा

दिनांक 6 अगस्त, 2007 को दूसरी अपील को एनजी द्वारा खारिज कर दिया गया था कि कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जाना चाहिए और वादी पर विचार नहीं किया जा सकता है:

क्या निम्न न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित हैं कि -

(i)

1993 के अपील मुक़दमा सं. 37 दिनांक 23.03.1999 में निर्णय को देखते हुए मुक़दमा वर्जित है, जितना कि एक विशिष्ट रूमुगा वेलाह v था।

पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा अधीनस्थ न्यायाधीश को रिमांड के आदेश में केवल इस बात पर विचार करने का निर्देश कि क्या सम्पत्तियाँ संयुक्त पारिवारिक सम्पत्तियाँ या स्व-अधिग्रहण हैं।

पेरियाया सर्वाई?

क्या नीचे दी गई अदालतें यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित हैं कि अपील वाद संख्या 37 में निर्णय को देखते हुए वाद वर्जित है 1993 का उप-न्यायालय, देवकोट्टई की फाइल पर इस बात पर विचार किए बिना कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में निर्धारित सिद्धांत लागू होते हैं?

क्या निचली अदालतें उप-न्यायालय, देवकोट्टई की फाइल पर 1972 की मूल याचिका संख्या 7 में निर्णय पर विचार नहीं करने के लिए उचित हैं, जहां प्रदर्शन के मूल के तहत बी-10 को अमान्य और अप्रवर्तनीय माना गया था? क्या नीचे दी गई अदालतें डी. डब्ल्यू.-1 की इस स्वीकारोक्ति पर विचार नहीं करना उचित मानती हैं कि पेरियाया सरवाई संयुक्त परिवार की संपत्तियों में हिस्सेदारी का हकदार था?

क्या न्यायालयों के निष्कर्ष जो नीचे दिए गए हैं, विकृत हैं और किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं और उपलब्ध हैं अभिलेख पर सामग्री को बनाए रखा जा सकता है?

उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निष्कर्षों को दर्ज किया गया था

डी निर्णयः

कि यह पहले से ही 1993 के अपील वाद संख्या 37 में अभिनिर्धारित किया जा चुका था

)

कि सभी संयुक्त परिवार की संपत्तियों को पेरियैया सरवाई के बेटों के पक्ष में तीन शेयरों में विभाजित किया गया था। उक्त निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी और इसलिए विभाजन के संबंध में निष्कर्ष अंतिम रूप ले चुका था। इसलिए, तत्काल मुकदमा के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया था

न्याय करें।

i) दूसरी अपील को स्वीकार करने के स्तर पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वादी द्वारा उठाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न कानूनी रूप से मान्य नहीं थे।

असफल वादी ने इसे चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है

ई ऊपर उल्लिखित निर्णय। हमने श्री को सुना है। वी. प्रभाकर, एट और श्री के विद्वान अधिवक्ता। के. के. मणि, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और

अभिलेख पर सामग्री।

9. अपीलार्थी के लिए सीखा हुआ वकील-शुरुआत में वादी

यह तर्क देते हुए कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालतें भी अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने में सही नहीं थीं, यह मानते हुए कि वर्ष 1964 में पक्षों के बीच पूर्व विभाजन हुआ था और इसलिए विभाजन और अलग कब्जे के लिए तत्काल मुकदमा कायम नहीं था। उक्त तर्क को विस्तार से बताते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1964 में वाद अनुसूची संपत्तियों का तथाकथित विभाजन एक निर्णय के अनुसार था। उक्त पुरस्कार पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) (ई) के अनुसार पंजीकृत नहीं था (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। अधिनियम की धारा 49 को यह तर्क देने के लिए भी सेवा में लगाया गया था कि परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन को प्रभावित करने वाले मध्यस्थता पुरस्कार के पंजीकरण के अभाव में, पुरस्कार की कानून की नजर में कोई वैधता नहीं है और इसलिए यह पक्षों पर बाध्यकारी नहीं है। चूंकि उक्त पुरस्कार का कानून में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए परिवार संयुक्त बना रहा और मुकदमा अनुसूची संपत्तियां संयुक्त पैतृक थीं। संपत्तियाँ। अतः, अपीलार्थी द्वारा दायर विभाजन का मुकदमा विचारणीय था।

10. इस संदर्भ में यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि 1991 का ओ. एस. सं. 347 वादी के दादा पेरियैया सरवाई द्वारा दायर किया गया था।

अधिकार की घोषणा और परिणामी राहत की मांग करते हुए उक्त मुकदमे को खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ 93 का ए. एस. संख्या 37 दायर किया गया था। उक्त अपील में निचली अदालत को रिमांड का आदेश दिया गया था। रिमांड के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपील पर निर्णय लेने और केवल संपत्तियों की प्रकृति पर निष्कर्ष देने के लिए मामले को पहली अपीलीय अदालत में भेज दिया। रिलायंस को उच्च न्यायालय से रिमांड पर पहली अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्ष पर रखा गया था कि मुकदमा अनुसूची संपत्तियां संयुक्त पैतृक संपत्तियां हैं। हालाँकि, पहली अपीलीय अदालत ने रिमांड आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिए जाने के अभाव में भी यह निर्णय दिया कि वर्ष 1964 में परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन हुआ था और इसलिए विभाजन का मुकदमा विचारणीय नहीं था। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस तरह का निष्कर्ष पहली अपीलीय अदालत द्वारा नहीं दिया जा सकता था, जो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रिमांड के आदेश की रूपरेखा का उल्लंघन करता था, जो केवल वाद अनुसूची संपत्तियों की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए था, न कि क्या परिवार के सदस्यों के बीच इसका विभाजन था। कि 1993 के ए. एस. सं. 37 में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय जहाँ तक गलत था क्योंकि यह उच्च न्यायालय द्वारा उसे दिए गए रिमांड के दायरे से परे था और इसलिए उक्त निष्कर्ष पक्षों पर बाध्यकारी नहीं है।

के. अरुमुगा वेलैयाह बनाम। पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर.

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

11. यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने विवादित को पारित करते हुए

निर्णय, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर दूसरी अपील को खारिज नहीं कर सकता था क्योंकि उक्त निष्कर्ष भी उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं था। यह तर्क दिया गया था कि बचाव न्यायिकता का सिद्धांत तत्काल मामले में लागू नहीं होता है। इसलिए, उच्च न्यायालय और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों को दरकिनार किया जा सकता है और वाद का फैसला किया जा सकता है।

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः

शिरोमणि और ओआरएस। वी. हेम कुमार और ओआरएस। , [1968] 3

अ)

एस. सी. आर. 239।

ख)

सतीश कुमार और अन्य। वी. सुरिंदर कुमार और अन्य। ,

[1969] 2 एससीआर 244।

लक्ष्मण दास बनाम। राम लाल, [1989] 3 एस. सी. सी. 99.

(ग)

असरार अहमद बनाम। दरगाह समिति, अजमेर, आकाशवाणी 1947

(घ)

पीसी 1.

13. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि पक्षकारों के बीच विभाजन करने वाला मध्यस्थ निर्णय अनिवार्य नहीं था।

यह आग्रह किया गया कि संयुक्त परिवार की संपत्तियों का विभाजन अंतर-व्यक्तिगत हस्तांतरण नहीं है। एक विभाजन केवल संयुक्त परिवार या पैतृक संपत्तियों में सह-भागीदारों के हिस्से को स्पष्ट करता है। कि जब तक पक्षकारों को विभाजन विलेख के तहत विशिष्ट परिसंपत्तियों से संबंधित शेयर आवंटित नहीं किए जाते हैं, तब तक ऐसा दस्तावेज किसी विशिष्ट संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं बनाता है।

14. वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया कि वर्ष 1964 में पैतृक संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के विभाजन और विभाजन के संबंध में 1993 की ए. एस. संख्या 37 में पहली अपीलीय अदालत के निष्कर्ष को प्राप्त किया गया है। अंतिमता। उक्त निष्कर्ष पक्षों के लिए बाध्यकारी है। इसलिए विभाजन और संपत्तियों के अलग कब्जे की मांग करने वाला एक नया मुकदमा बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं था। ऐसा

इसलिए है क्योंकि उपरोक्त निष्कर्ष को पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा क्योंकि इसे कोई चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए न्यायिक निर्णय का सिद्धांत लागू होगा।

15. यह आगे तर्क दिया गया कि भले ही यह तर्क के लिए माना जाता है कि रिमांड पर, पहली अपीलीय अदालत ने [2022] 11 एस. सी. आर. पारित किया था।

दायरे से परे एक बिंदु पर निष्कर्ष देकर एक गलत निर्णय

प्रतिप्रेषण, अर्थात, मध्यस्थता अधिनिर्णय के पक्ष में, जिसने वाद अनुसूची संपत्तियों को विभाजित किया है, ऐसा निष्कर्ष पक्षों के लिए बाध्यकारी है क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है। कि कुछ भी नहीं रोकता था

उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर करके उक्त निष्कर्ष पर हमला करने से अपीलार्थी। इसके बजाय अपीलार्थी ने विभाजन के लिए एक नया मुकदमा दायर किया जो कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक उदाहरण है क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत से प्रभावित है।

16. उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय दूसरी अपील के साथ-साथ अपीलार्थी वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने में सही था और इस अपील में कोई योग्यता नहीं है। इसलिए ऐसा ही है

बर्खास्त किया जा सकता है।

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने निम्नलिखित तीन पर भरोसा किया:

उनकी प्रस्तुतियों को समर्थन देने के निर्णय:

काले और ओआरएस। वी. समेकन के उप निदेशक,

अ)

[1976] 3 एससीसी 119।

भूप सिंह बनाम। राम सिंह मेजर और अन्य। , [1995] 5

ख)

एससीसी 709।

(ग)

रविंदर कौर ग्रेवाल और अन्य। वी. मंजीत कौर और

ओआरएस। , [2020] 9 एससीसी 706।

रिपुदमन सिंह बनाम। टिक्का महेश्वर चंद, [2021]

(घ)

7 एससीसी 446।

17. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद एकमात्र बिंदु जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा ए. एस. नं. में पारित निर्णय और डिक्री को देखते हुए वर्जित है। 37 1993 का दिनांक 23 मार्च, 1999, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दोनों पक्षों के बीच संयुक्त परिवार की संपत्तियों के संबंध में विभाजन प्रभावित हुआ था।

प्रथम और द्वितीय प्रतिवादी और वर्ष 1964 में स्वर्गीय मारिमुथु।

18. निम्नलिखित निर्विवाद तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता हैः

(क) पक्षकारों के बीच संबंध विवाद में नहीं है।

पेरियैया सर्वई ने अपनी पहली पत्नी के माध्यम से पहले प्रतिवादी पी. आर. रामास्वामी को जन्म दिया था और अपनी दूसरी पत्नी के माध्यम से उनके दो बेटे हुए, जिनके नाम पी. आर. कासिलिंगम थे-दूसरा प्रतिवादी।

और स्वर्गीय मारिमुथु। अपीलार्थी-वादी पी. आर. कासिलिंगम का पुत्र है।

(ख) अपीलार्थी ने यह भी दावा किया है कि उसके दादा पेरियैया

सरवाई ने अपने पक्ष में एक वसीयत का निष्पादन किया था और इसलिए उसने

मुक़दमे की संपत्ति में उनका एक चौथाई हिस्सा था।

((ग)

यह भी विवाद में नहीं है कि 1991 का ओ. एस. सं. 347 दायर किया गया था।

मुकदमे को खारिज करने के खिलाफ 1993 की ए. एस. संख्या 37 में वादी को एक चौथाई हिस्सा देने के लिए एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी। 1993 के ए. एस. सं. 37 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वाद संपत्ति है।

((घ)

यह संयुक्त परिवार की संपत्ति थी और वर्ष 1964 में संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन हुआ था। उक्त निर्णय पर किसी भी पक्ष द्वारा हमला नहीं किया गया था।

(ई)

हालाँकि, यहाँ अपीलार्थी ने एक नया मुकदमा दायर किया

जिला मुन्सिफ न्यायालय, देवकोट्टई की फाइल पर 2004 का ओ. एस. सं. 101, जिसे खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष ए. एस. सं. <आई. डी. 1] दायर किया गया था।

देवकोट्टई, जिसमें यह देखा गया था कि 1993 के ए. एस. संख्या 37 में इस आशय का निष्कर्ष दिया गया था कि विभाजन हुआ था।

वर्ष 1964 में परिवार में, अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था।

(च)

अपील खारिज होने से व्यथित, दूसरी अपील

2007 का एस. ए. सं. 92 मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष दायर किया गया था, जिसने भी विवादित निर्णय द्वारा इसे खारिज कर दिया है।

19. अपीलार्थी के तर्क का मुख्य आधार यह है कि इसमें वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर वाद को 1993 के ए. एस. सं. 37 में यह अभिनिर्धारित करके न्यायिक निर्णय के सिद्धांत पर खारिज नहीं किया जा सकता था।

यह पहले से ही इस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट निष्कर्ष था कि संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच वाद संपत्तियों का विभाजन था और इसलिए वादी द्वारा विभाजन और समान संपत्तियों के लिए अलग कब्जे के लिए एक नया मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह बनाए रखने योग्य नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी-

वादी का तर्क है कि उपरोक्त निष्कर्ष रिमांड के अधिदेश के विपरीत था और इसलिए पक्षों पर बाध्यकारी नहीं था। इसके विपरीत, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि यह निष्कर्ष कि मुकदमा संपत्तियां संयुक्त पारिवारिक संपत्तियां थीं जो [2022] 11 एस. सी. आर. थीं।

वर्ष 1964 में पक्षकारों द्वारा विभाजित, वादी द्वारा बिल्कुल भी चुनौती नहीं दिए जाने के कारण, अंतिमता प्राप्त हो गई थी और इसलिए वादी को विभाजन और अलग अधिकार का दावा करने वाला एक नया मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया था।

20. उपरोक्त संदर्भ में एक अन्य विवाद द्वारा उठाया गया

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कहा कि वर्ष 1964 में हुआ तथाकथित विभाजन पंचायतदारों (मध्यस्थों) द्वारा पारित एक निर्णय के आधार पर था और इसे पंजीकृत नहीं होने के कारण अदालत का नियम नहीं बनाया गया था और इसलिए कानून की नजर में इसकी कोई वैधता नहीं थी। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा उपरोक्त तर्क का प्रतिवाद यह है कि उक्त पुरस्कार के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

21. हम शुरुआत में अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों पर विचार करेंगेः

क) शिरोमणि और अन्य में। वी. हेम कुमार और ओआरएस। , [1968] 3 एस. सी. आर. 639, उठाए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या विभाजन विलेख की वैधता को इस आधार पर साक्ष्य में अस्वीकार्य होने के रूप में चुनौती दी जा सकती है कि इसे अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं किया गया था। उस मामले में यह माना गया था कि प्रदर्शनी डी-4 के पाठ के तहत विचार किया गया था।

इसमें, अलग-अलग सह-भागीदारों को विशिष्ट संपत्तियों का आवंटन किया गया था और इसलिए दस्तावेज़ के दायरे में आता है अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) की शरारत जैसा कि आवश्यक हो

पंजीकरण। इसलिए, उक्त दस्तावेज किसी विशेष संपत्ति के सह-भागीदारों के अधिकार को साबित करने या यह साबित करने के लिए कि कोई विशेष संपत्ति संयुक्त संपत्ति नहीं रह गई थी, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं था। हालांकि, दस्तावेज़ डी-4 प्रदर्शित करता है

इसमें माना गया कि सह-भागीदारों की ओर से स्थिति में विभाजित होने के इरादे को साबित करने के लिए स्वीकार्य माना गया था; दूसरे शब्दों में, यह साबित करने के लिए कि पक्षकारों का संयुक्त होना नन्नी बाई बनाम गीता बाई, [1959] 1 एससीआर 479 के माध्यम से दस्तावेज़ की तारीख से समाप्त हो गया था। उक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

ख) सतीश कुमार और अन्य में। वी. सुरिंदर कुमार और अन्य। ,

[1969] 2 एस. सी. आर. 244, अधिनियम की धारा 49 के साथ पठित धारा 17 (1) (बी) के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए एक पुरस्कार के पंजीकरण पर एक समान प्रश्न पर जोर दिया गया। उस मामले में विभाजन के लिए एक पुरस्कार दिया गया था

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत और सवाल यह था कि क्या एक निजी संदर्भ पर इस तरह के पुरस्कार के लिए पंजीकरण की आवश्यकता है यदि UMUGA VELIAH v.

पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर.

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

पुरस्कार ने अचल संपत्ति के विभाजन को प्रभावित किया रुपये का मूल्य। 100. बहुमत (2:1) ने माना कि एक मध्यस्थ द्वारा दिया गया एक निर्णय जो रुपये से अधिक के मूल्य के अधिकार, स्वामित्व या ब्याज को प्रभावित करता है। 100 अचल संपत्ति में पंजीकरण की आवश्यकता होगी। हालांकि, यह माना गया कि एक फाइलिंग

अधिनियम की धारा 49 के तहत अपंजीकृत पुरस्कार नहीं है

निषिद्ध; जो निषिद्ध है वह यह है कि इसे सबूत में नहीं लिया जा सकता है ताकि अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित को प्रभावित किया जा सके।

अधिनियम की धारा 17 के अनुसार संपत्ति। इस प्रस्ताव के लिए

चंपालाल बनाम एम. एस. टी. पर निर्भरता थी। समर्थ बाई,

[1960] 2 एससीआर 810।

काशीनाथसा यमोसा पर भी निर्भरता रखी गई थी।

कबड्डी बनाम। नरसिंगा भास्कर कबड्डी, [1961] 3 एससीआर

792 जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थीः

" यह सच है कि संपत्तियों के विभाजन के बारे में पंचों द्वारा बनाए गए अभिलेखों पर न तो मुहर लगी थी और न ही वे पंजीकृत थे। हालांकि यह स्पष्ट है कि अगर रिकॉर्ड

पंचों द्वारा बनाया गया जहां तक कि यह अचल संपत्तियों से संबंधित है, एक गैर-वसीयती साधन के रूप में माना जाता है जो अचल संपत्ति में किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित को बनाने, घोषित करने, निर्दिष्ट करने, सीमित करने या समाप्त करने के लिए अभिप्रेत है, यह धारा के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत था।

17 पंजीकरण अधिनियम, और अनुपस्थिति में नहीं होगा

रजिस्ट्रीकरण साक्ष्य में स्वीकार्य होगा।

उपरोक्त मामले में न्यायमूर्ति के. एस. हेगड़े के माध्यम से अल्पमत राय व्यक्त की गई थी कि एक मध्यस्थ का निर्णय संपत्ति में अधिकार पैदा करता है लेकिन उन अधिकारों को इसके बिना लागू नहीं किया जा सकता है।

आगे के कदम। अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के उद्देश्य के लिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या विचाराधीन पुरस्कार का उद्देश्य है।

या वर्तमान या भविष्य में किसी भी अधिकार, स्वामित्व या ब्याज को बनाने या घोषित करने, निर्दिष्ट करने, सीमित करने या समाप्त करने के लिए काम करता है, चाहे वह एक सौ रुपये के मूल्य का निहित या आकस्मिक हो और

ऊपर की ओर या अचल संपत्ति में। अगर ऐसा है तो

अनिवार्य रूप से पंजीकृत। लक्ष्मण दास बनाम। राम लाल, [1989] 3 एस. सी. सी. 99,

मुद्दा यह था कि मध्यस्थ का निर्णय ठीक से नहीं दिया गया था

मोहर लगा दी गई और इस तरह से न्यायालय का नियम नहीं बनाया जा सका।

यह भी तर्क दिया गया कि पुरस्कार अपंजीकृत था और [2022] 11 एस. सी. आर.

इस प्रकार इसे न्यायालय का नियम नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि यह रुपये से अधिक की अचल संपत्ति को प्रभावित करता था। 100. उक्त तर्क निचली अदालत द्वारा स्वीकार किया गया था लेकिन दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने कहा कि पुरस्कार पर ठीक से मुहर लगाई गई थी

और इसके लिए किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पुरस्कार ने अचल संपत्ति में कोई अधिकार नहीं बनाया था; इसने केवल पक्षों के बीच पहले से मौजूद अधिकारों को स्वीकार किया और इसलिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जिस प्रश्न पर विचार किया गया वह यह था कि क्या न्यायालय पुरस्कार पर निर्णय सुनाने के उद्देश्य से पुरस्कार पर विचार कर सकता था। पुरस्कार के निर्माण पर उसमें सवाल उठाए जाने पर उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया गया। ऐसा करते हुए, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 17 (1) (ई) के साथ-साथ अधिनियम की धारा 23,25 और 49 पर विचार किया। इसके अलावा, मद्रास की डिवीजन बेंच के फैसले पर निर्भरता रखी गई थी। रामास्वामी अय्यर और अन्न में उच्च न्यायालय। वी. तिरपति नाइक, आई. एल. आर. 27 मैड 43, जिसमें यह देखा गया था कि यह पता लगाने के लिए एक दस्तावेज़ को पढ़ना आवश्यक है, न कि दस्तावेज़ वास्तव में क्या व्यक्त करने का इरादा रखता है, बल्कि यह क्या व्यक्त करने का इरादा रखता है। दूसरे शब्दों में, यह जांच करना आवश्यक है कि ऐसा नहीं है

वह क्या करने का इरादा रखता है, लेकिन वह क्या करने का इरादा रखता है। यह था। पैराग्राफ 14 में आगे कहा गया हैः

" 14. पंजीकरण का वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, जहां

दस्तावेज़ के लिए आवश्यक है कि पंजीकरण पूर्ण रूप से रजिस्टर में निहित बयानों पर विश्वास के साथ भरोसा कर सकता है और उन सभी लेन-देनों का पूरा लेखा जिसमें स्वामित्व प्रभावित हो सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 17 अक्षम करने वाली है।

खंड का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसलिए, जब तक किसी दस्तावेज़ को स्पष्ट रूप से धारा के प्रावधानों के भीतर नहीं लाया जाता है, तब तक इसका गैर-पंजीकरण इसके होने पर कोई बाधा नहीं होगी। साक्ष्य में स्वीकार किया गया "।

रिलायंस को रतन लाल शर्मा बनाम पर भी रखा गया था। पुरुषोत्तम हरित, [1974] 3 एस. सी. आर. 109 ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि उक्त मामले में मध्यस्थता पुरस्कार ने न केवल प्रतिवादी का एक हिस्सा उसमें अपीलार्थी को सौंपने का प्रयास किया, बल्कि साझेदारी परिसंपत्तियों का एक विशेष आवंटन किया, जिसमें शामिल हैं - कारखाना और उसमें अपीलार्थी की देनदारियाँ।

इसलिए, उमूगा वेलाह v. पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

व्यक्त शब्दों में अधिकार बनाने के लिए पुरस्कार रुपये से अधिक की अचल संपत्ति। 100 / - उसमें अपीलार्थी के पक्ष में। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसके लिए अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

अब हम उन उद्धरणों पर विचार करेंगे जिन पर भरोसा किया गया है

एन टी एसः

काले और ओआरएस। वी. समेकन के उप निदेशक, [1976] 3 एस. सी. सी. 119, एक ऐसा मामला है जिसमें पारिवारिक व्यवस्थाओं के प्रभाव और मूल्य पर चर्चा की गई है।

समाधान करने के लिए पक्षों के बीच प्रवेश किया गया

विवाद हमेशा के लिए विचार के लिए आए। यह देखा गया कि पारिवारिक समझौते के मामले में, आमतौर पर एक समझौता होता है जो लेन-देन के एक लंबे पाठ्यक्रम से निहित होता है, लेकिन इस तरह के समझौते को एक विलेख में सन्निहित या प्रभावी किया जाता है जिसमें "पारिवारिक व्यवस्था" शब्द होता है।

लागू किया जाता है। इस तरह की पारिवारिक व्यवस्था अजनबियों के बीच व्यवहार पर लागू नहीं होती है, लेकिन परिवार के सदस्यों के हित और शांति बनाए रखने के संदर्भ में होती है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 10 में, इस न्यायालय ने कहा है कि

एक पारिवारिक समझौते की आवश्यक बातों पर जो हो सकता है

उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला गयाः

" 10. दूसरे शब्दों में बाध्यकारी प्रभाव डालने के लिए और एक ठोस रूप में एक पारिवारिक निपटान की आवश्यकता, मामले को निम्नलिखित के रूप में कम किया जा सकता हैः

प्रस्तावः

(1) पारिवारिक समझौता एक प्रामाणिक समझौता होना चाहिए ताकि

पारिवारिक विवादों और प्रतिद्वंद्वी दावों को एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण संगठन द्वारा हल करें।

परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संपत्तियों का न्यायसंगत विभाजन या आवंटन;

(2) उक्त समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए और नहीं होना चाहिए।

धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से प्रेरित होना;

(3) पारिवारिक व्यवस्थाएँ मौखिक भी हो सकती हैं जिनमें

मामला कोई पंजीकरण आवश्यक नहीं है; (4) यह अच्छी तरह से तय है कि पंजीकरण आवश्यक होगा

केवल तभी जब पारिवारिक व्यवस्था की शर्तों को लिखित रूप में कम कर दिया जाए। यहाँ भी, [2022] 11 एस. सी. आर. के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एक दस्तावेज जिसमें परिवार की शर्तें और पाठ होते हैं

दस्तावेज़ के तहत की गई व्यवस्था और एक मात्र

पारिवारिक व्यवस्था के बाद तैयार किया गया ज्ञापन

पहले से ही या तो अभिलेख के उद्देश्य के लिए बनाया गया है या

अचल संपत्तियों में किसी भी अधिकार को समाप्त करना और इसलिए धारा 17 (2) (एस. आई. सी.) की शरारत में नहीं आता है।

(धारा 17 (1) (बी)?) पंजीकरण अधिनियम और इसलिए, है,

अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं;

(5) सदस्य जो परिवार के पक्षकार हो सकते हैं

व्यवस्था में कुछ पूर्ववर्ती शीर्षक, दावा या

ब्याज भी संपत्ति में एक संभावित दावा है जो है

समझौते के पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया। भले ही एक

समझौते के पक्षकारों का कोई अधिकार नहीं है लेकिन इसके तहत

व्यवस्था जो दूसरा पक्ष अपने सभी दावों को छोड़ देता है या

एकमात्र मालिक होने के नाते, पूर्ववर्ती अधिकार को ग्रहण किया जाना चाहिए और पारिवारिक व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा, और अदालतें उसे सहमति देने में कोई कठिनाई नहीं होगी;

(6) भले ही वास्तविक या संभावित विवाद, जिनमें कानूनी दावे शामिल न हों, एक प्रामाणिक पारिवारिक व्यवस्था द्वारा निपटाए जाते हैं जो परिवार के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत हो।

व्यवस्था अंतिम है और पार्टियों पर बाध्यकारी है

समझौता "।

इस न्यायालय के कई निर्णयों की समीक्षा करने के बाद,

प्रिवी काउंसिल और अन्य उच्च न्यायालय, यह न्यायालय पैराग्राफ में

20 निम्नलिखित प्रस्तावों को इंगित कियाः

" इसलिए हम निम्नलिखित सामान्य प्रस्तावों के बयान के साथ संदर्भ को वापस करेंगेः (1) मौखिक रूप से परिवार की व्यवस्था की जा सकती है।

(2) यदि मौखिक रूप से किया जाता है, तो कोई दस्तावेज़ नहीं है, कोई सवाल नहीं है पंजीकरण होता है।

(3) अगर इसे मौखिक रूप से बनाया जा सकता था, तो यह वास्तव में था "दस्तावेज़" पंजीकरण के रूप में घटाया गया (जब इसका मूल्य रु। 100 और ऊपर) आवश्यक है।

उमगा वेलैयाह बनाम। पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

(4) क्या शर्तों को "दस्तावेज़ के रूप में कम कर दिया गया है" प्रत्येक मामले में तथ्य का सवाल है प्रकृति पर विचार करके निर्धारित किया जाता है और

लेखन का वाक्यांश विज्ञान और वे परिस्थितियाँ जिनमें

और जिस उद्देश्य से इसे लिखा गया था। (5) यदि शर्तों को "दस्तावेज़ के रूप में कम नहीं किया गया था", तो पंजीकरण आवश्यक नहीं था (भले ही

इसका मूल्य रु। 100 या ऊपर); और, जबकि लेखन का उपयोग इस बात के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है कि इसका मूल्य क्या हो सकता है, उदाहरण के लिए अन्य साक्ष्य की पुष्टि के रूप में या लेनदेन की स्वीकृति के रूप में या दिखाने या समझाने के रूप में।

आचरण करें।

(6) यदि शर्तों को "एक दस्तावेज़ के रूप में कम कर दिया गया था" और, हालांकि मूल्य रु। 100 या ऊपर, यह पंजीकृत नहीं था, पंजीकरण की अनुपस्थिति दस्तावेज़ को साक्ष्य में अस्वीकार्य बनाती है और प्रमाण के लिए घातक है

दस्तावेज़ में सन्निहित व्यवस्था "।

अंततः, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक समझौते की प्रकृति में पारिवारिक व्यवस्था जिस पर उस में विचार किया गया था

मामले में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। यह आगे माना गया कि जब से

उस मामले में पारिवारिक व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था, वही अवरोध के सिद्धांत पर बाध्यकारी था। इसके अलावा, भले ही पारिवारिक व्यवस्था को पंजीकृत नहीं किया जा सका हो, इसका उपयोग संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यानी पारिवारिक समझौते के अनुसरण में पक्षों के कब्जे की प्रकृति और चरित्र को दिखाने के लिए और इसे लागू करने के उद्देश्य से भी। विरोध का नियम जो पक्षों के आचरण से निकला, जिन्होंने सात साल तक समझौते के तहत लाभ उठाया, बाद में समझौते से पीछे हटने की कोशिश की।

भूप सिंह बनाम। राम सिंह मेजर और अन्य। , [1995] 5 एस. सी. सी. 709, इस न्यायालय ने इस संदर्भ में कानूनी स्थिति बताई

अधिनियम की धारा 17 (2) (vi) के तहत निम्नलिखित शब्दों में दस्तावेजों के पंजीकरण का, ताकि उन्हें धारा 17 (2) (v) से अलग किया जा सके:

" 18. खंड (vi) के तहत कानूनी स्थिति को उपरोक्त चर्चा के आधार पर नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) समझौता डिक्री यदि प्रामाणिक है, इस अर्थ में कि समझौता डाक टिकट के भुगतान को रोकने का एक उपकरण नहीं है कर्तव्य और पंजीकरण से संबंधित कानून को विफल करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसके विपरीत स्थिति में, इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(2) यदि समझौता डिक्री पहली बार अधिकार, स्वामित्व या रुपये के मूल्य की अचल संपत्ति में ब्याज बनाने के लिए थी। 100 या वाद के पक्ष में किसी भी पक्ष के पक्ष में डिक्री या आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(4) यदि डिक्री की शर्तों को शामिल नहीं करना था समझौता, जैसा कि लाहौर मामले में स्थिति थी, लाभ

समझौते की शर्तों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही समझौते के कारण एक मुकदमे का निपटारा किया जाना था

(5) यदि डिक्री द्वारा निपटाई गई संपत्ति नहीं है " वाद या कार्यवाही की विषय वस्तु ", उप-धारा (2) का खंड (vi) कार्य नहीं करेगा, क्योंकि -

जिसके अनुसार मूल खंड होता आकर्षित, भले ही यह संपत्ति को शामिल करने के लिए नहीं था

मुकदमेबाजी की। ”

रविंदर कौर ग्रेवाल और ओआरएस में। वी. मंजीत कौर और अन्य। , [2020] 9 उपरोक्त दोनों पर विचार करते हुए एस. सी. सी. 706

निर्णयों में, इस न्यायालय ने राय दी कि जब पक्षों के बीच एक पारिवारिक समझौते पर कार्रवाई की गई है, तो यह उसी से वापस लेने के लिए खुला नहीं है और पक्षों को इसके विपरीत बहस करने से रोक दिया जाता है।

रिपुदमन सिंह बनाम में तथ्य। टिक्का महेश्वर चंद, [2021] 7 एस. सी. सी. 446 यह था कि दोनों पक्षों ने भाई होने के नाते भूमि विवाद के संबंध में समझौता किया था। वादी, उसमें, समझौते के आदेश के आधार पर अपने पक्ष में भूमि के उत्परिवर्तन के लिए आवेदन किया, जो कि के. अरुमुगा वेलाह बनाम था।

पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अनुमति दी गई। अपील में नायब तहसीलदार को नए सिरे से उत्परिवर्तन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, संभागीय आयुक्त ने उक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। एक मुकदमा दायर किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था लेकिन अपील

अपीलार्थी द्वारा वरीयता की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने पहली अपीलीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया और मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि भूमि, भले ही समझौते का विषय थी, मुकदमे का विषय नहीं था और इसलिए, समझौते की डिक्री के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी। इस न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि जब संपत्ति में पहले से मौजूद अधिकार को अदालत की कार्यवाही में समझौते के माध्यम से मान्यता दी जा रही है और पहले के लिए कोई नया अधिकार नहीं बनाया गया है।

जब पक्षकार सिविल न्यायालय में समझौता करते हैं, तो अनिवार्य पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, किसी संपत्ति में उत्तराधिकारियों के बीच पहले से मौजूद अधिकार को मान्यता देने वाले समझौते के लिए अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इस मामले में धारा 17 (2) (v) और (vi) के बीच के अंतर को उपरोक्त का उल्लेख करके सामने लाया गया था।

निर्णय।

23. उपरोक्त दोहरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, शुरुआत में हमें 13 जून, 1964 को दिए गए पुरस्कार पर विचार करना होगा।

पंचायतदार जिन्हें अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा अनुलग्नक पी-10 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पुरस्कार पेरिया सरवाई द्वारा दिए गए बयान और सहमति के आधार पर एक प्रस्ताव के रूप में दिया जाता है।

पेरिया सर्वई के दो प्रमुख पुत्रों पी. आर. रामास्वामी और पी. आर. कासिलिंगम द्वारा दिया गया बयान। इस बात का विवरण है कि संपत्तियों से कैसे निपटा जाना था। पक्षों ने यह भी कहा था कि उन्होंने उपरोक्त प्रस्ताव को पढ़ा था और उसके प्रावधानों का पालन करने के लिए पूरे दिल से सहमत हुए थे। द्वारा पारित पुरस्कार की प्रकृति की बेहतर सराहना के लिए

पंचायतदारों, अनुलग्नक पी-10 को निम्नानुसार निकालना उपयोगी होगाः

" पंचाटदारों द्वारा पारित समाधान

तमिल के पंगुनी महीने के 20 वें दिन

सोबक्रितु वर्ष विभाजन की ओर बढ़ रहा है

एम. पेरियाया के तीन बेटों के बीच एस. ई. आर. वी. ए. आई. विज। (1) रामासामी, (2) कासीलिंगम और

(3) मारीमुथन।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवरण

उक्त एम. पेरियाया सर्वई की दो पत्नियाँ थीं।

1) वीरायकली-पहली पत्नी

2) कलियम्मा-दूसरी पत्नी

पहली पत्नी के माध्यम से पैदा हुआ पुत्र रामासामी है। दूसरी पत्नी के माध्यम से पैदा हुए बेटों में कासिलिंगम और मारिमुथन हैं।

उपरोक्त कथन के अवलोकन के बाद, हमने अपने सामने उक्त एम. पेरियाया सर्वई द्वारा दिए गए बयान और रामासामी और कासिंगम द्वारा दिए गए सहमति बयान के बल पर निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए हैं।

समाधानों का विवरण

नंजई, पुंजई और सहायक उपकरण जैसे थिथुथिडाल, मवेशी,

1 .

मुर्गियों, बर्तनों और अन्य सभी घरेलू सामानों को तीन बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाना है।

जैसा कि पंचायतदार सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं कि तीनों

2 .

कुल आम नंजाई भूमि में से एकड़ भूमि सबसे बड़े पुत्र रामासामी की देखभाल के लिए छोड़ी जानी है, उक्त तीन एकड़ नंजाई भूमि तदनुसार दी जानी है।

रामासामी के पास।

हम, पंचायतदार खर्चों को रद्द करने का फैसला करते हैं

3 .

रामासामी और कासिंगम के विवाह के खर्च में अंतर को रद्द करने के अलावा, दोनों पक्षों द्वारा दिए गए बयानों में निहित राशि के अनुसार विभाजन के आसपास घूमने वाली कार्रवाइयों के संबंध में किया गया, और एक सुश्री पथरामल की शादी

कासिलिंगम और मरीमुथन दोनों के हिस्से से राशि का निष्पादन, कासलिंगम द्वारा दिए गए इस बयान पर कि उनकी शादी और उसी के लगभग 3 वजन की एक छोटी श्रृंखला का पता नहीं लगाया जा सका, तलाशी के बावजूद, कासिलिंगम सामान्य रूप से Rs.300/राशि का खर्च देगा।

4 .

यह तय किया गया था कि मारिमुथन अपना आचरण करेगा

अपने हिस्से से अपने दम पर विवाह करना और मारिमुथन का आम परिवार से संबंधित प्राप्य, देय या ऋण के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा।

मुगा वेलैयाह बनाम। पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

यह तय किया गया कि पंचायतदारों ने फैसला किया है कि कासिलिंगम, बैंगलोर की मंजूरी पर

एम. सेतुरमन, ईंटों के लिए भट्टे के संबंध में <ID2,000/- मूल्य का चूना पत्थर लेने के लिए, क्योंकि कासिलिंगम ने उपरोक्त व्यक्ति को अपने पिता की मंजूरी के बिना अपनी इच्छा से <ID1/- (केवल तीन सौ चालीस रुपये) लेने की अनुमति दी थी, यह निर्णय लिया गया कि कासिलिंगम

अपनी जेब से Rs.340/- की उक्त राशि ले लें।

उक्त विद्यालय में उपलब्ध सभी वस्तुओं/वस्तुओं और सहायक उपकरणों को ध्यान में रखते हुए बैंगलोर के विद्यालय का मूल्य बिक्री के लिए निर्धारित किया जाएगा और उक्त विद्यालय को या तो रामासामी या कासिंगम द्वारा लिया जाएगा।

वह एक

बाड़ लगे परिसर को पेरियाया को दिया जाएगा और दो संपत्तियों को छोड़ने के लिए दिया जाएगा, जिसमें से एक 1.4 प्रतिशत मापने वाली आईडी1/1 में शामिल है और दूसरा घर जिसमें उसे अपनी इच्छानुसार संपत्तियों से निपटने का अधिकार दिया गया है। उसे दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक गाय के अलावा उसके उपयोग के लिए एक गाड़ी और दो बैल देने का भी निर्णय लिया गया है। पेरियाया ने अपने बयान में कहा था कि 1,000/- रुपये की राशि या उसके मूल्य के बराबर भूमि उसकी बहन लक्ष्मी को दी जाएगी। हम, पंचायतदार, आज

निर्णय लिया गया कि 1,000/- रुपये की राशि या उसके मूल्य के बराबर भूमि उक्त लक्ष्मी को दी जानी चाहिए।

जैसा कि बयान में पाया गया है कि साथमंगलम के करुवारिवन को एक घर देने के लिए, यह हल किया गया है कि पहले खेत की निचली परत उपरोक्त व्यक्ति को दी जाएगी। धर्मार्थ गतिविधियाँ करने के लिए कोई समय नहीं है [2022] 11 एस. सी. आर.

तीन भागीदारों के लिए। यह तय किया गया है कि तीनों

उसी में शेयरों को इसके बाद एक साथ किया जा सकता है

रामासामी की देखरेख। जैसा कि श्री पेरियाया सर्वई के कथन में पाया गया है, जिसमें

10 .

यह लिखा गया है कि सभी के मूल्य पर विचार करते हुए कल्लुपट्टी की संपत्तियाँ Rs.800/- पर उनकी बेटी को बेच दी जाएंगी।

हालांकि, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संपत्तियां

उपरोक्त मूल्य और उक्त निर्णय के लिए ही बेचा जाए

पंचायतदारों ने हमारा समर्थन किया है।

11 .

नारियल की मलाई का उपयोग करके घर को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

हिस्सा मारिमुथन को जा रहा है खाली जगह भी होनी है जोड़ा गया। नटावली हाउस का आयोजन और उपयोग किया जाएगा

आम है। यह ऊपर के रूप में तय किया गया है।

इसे आम परिवार के संबंध में हल किया गया है।

12 .

लांस का सम्मान, जो सदियों पुराने रीति-रिवाजों के अनुरूप है,

पेरियाया सर्वई, उनके सबसे बड़े बेटे, रामासामी का जीवनकाल उक्त सम्मान के लिए देय माना जाता है।

उपरोक्त सभी को हमारे द्वारा सर्वसम्मति से हल किया गया है,

13 .

पंचायतदार।

पंचायतदार

एस. अप्पासामी सरवाई, उंचनई

1 .

भूत थिरु मुथैय्यान सरवाई, इथप्पदिवयाल

2 .

उम्बियूर इरुप्पुक्कुडी के एम. मुथैया सर्वई

3 .

एना। अनामुगप्पन

4 .

एस. वी. दुरई सरवाई, साथमंगलम।

5 .

हमने उपरोक्त समाधानों को पढ़ा है। हम उपरोक्त बातों से सहमत हैं। हम पूरे दिल से उपरोक्त बातों का पालन करेंगे।

एस. डी./- रामासामी एस. डी./- कासिंगम

द्वारा लिखा गया संकल्प और मैं भी पंचायतों में से एक हूं।

एसडी /

(अवैध) "के. अरुमुगा वेलैयाह बनाम। पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

पुरस्कार के अवलोकन पर जो एक संकल्प के रूप में है, यह

यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति में संयुक्त परिवार की संपत्तियों की किसी विशिष्ट वस्तु या संपत्ति में कोई अधिकार नहीं बनाया गया था, लेकिन पक्षों ने पारिवारिक व्यवस्था के अनुसरण में कुछ कार्रवाई करने का संकल्प लिया। इसलिए अनुलग्नक पी-10 (उदा. बी-13) संयुक्त परिवार की संपत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु में किसी भी पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया गया था। उक्त दस्तावेज़ जिसे एक पुरस्कार के रूप में परिभाषित किया गया है, हमारे विचार में, केवल एक समझौता ज्ञापन/पारिवारिक व्यवस्था है जिस पर भविष्य में कार्रवाई की जानी है। इसलिए, हमारे सुविचारित विचार में, उक्त दस्तावेज़ ने परिवार की विशिष्ट संपत्तियों या संपत्तियों में विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में अधिकार नहीं बनाए। इसलिए, अधिनियम की धारा 17 (1) (ई) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उक्त दस्तावेज़ एक दस्तावेज़ की प्रकृति में था जिसकी परिकल्पना नीचे की गई थी।

अधिनियम की धारा 17 (2) (v)। उसी की बेहतर समझ के लिए धारा 17 (1) (ई) और 17 (2) (वी) को नीचे संदर्भित करना उपयोगी होगाः

" 17. दस्तावेज़ जिनका पंजीकरण अनिवार्य है। (1) द.

निम्नलिखित दस्तावेज पंजीकृत किए जाएँगे, यदि वह संपत्ति जिसके लिए

वे संबंधित एक जिले में स्थित है जिसमें, और यदि वे किया गया है

जिस तारीख को या उसके बाद निष्पादित किया गया, अधिनियम सं। 1864 का XVI, या

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1866 या भारतीय पंजीकरण अधिनियम,

1871 , या भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1877, या यह अधिनियम आया या

लागू होता है, अर्थात्ः

XXX

X

XX

XXX

(ख) अन्य गैर-वसीयतनामा उपकरण जो उद्देश्य या संचालन करते हैं। बनाना, घोषित करना, निर्दिष्ट करना, सीमित करना या बुझाना, चाहे वह वर्तमान में हो।

या भविष्य में, कोई भी अधिकार, शीर्षक या हित, चाहे वह निहित हो या आकस्मिक,

एक सौ रुपये और उससे ऊपर के मूल्य का, या में अचल संपत्ति;

XXX

XXX

X

XX

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) और (सी) में कुछ भी निम्नलिखित पर लागू नहीं होता हैः

X

XX

XXX

XXX

(v) उपखंड में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अलावा कोई अन्य दस्तावेज।

रुपये और अचल संपत्ति में या उससे ऊपर, लेकिन केवल एक अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने का अधिकार बनाना, जो कब

ऐसे किसी भी अधिकार को निष्पादित करना, बनाना, घोषित करना, निर्दिष्ट करना, सीमित करना या समाप्त करना,

शीर्षक या ब्याज। "[2022] 11 एस. सी. आर.

24. कानून के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त अधिनिर्णय केवल भविष्य में संपत्तियों को विभाजन के वास्तविक विलेख से अलग करने के लिए एक व्यवस्था थी, जिसके तहत न केवल स्थिति का विभाजन होता है, बल्कि विशिष्ट संपत्तियों में संयुक्त परिवार की संपत्तियों का विभाजन भी होता है। इसलिए इसे पंजीकरण से छूट दी गई थी

अधिनियम की धारा 17 (2) (v)। विभाजन का एक दस्तावेज जो भविष्य में संपत्तियों के विभाजन को प्रभावी बनाने का प्रावधान करता है, को इससे छूट दी जाएगी।

धारा 17 (2) (v) के तहत पंजीकरण। ऐसे मामले में परीक्षण यह है कि क्या दस्तावेज़ स्वयं किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में रुचि पैदा करता है या केवल स्वामित्व का दूसरा दस्तावेज़ प्राप्त करने का अधिकार पैदा करता है। यदि कोई दस्तावेज़ अपने आप में अचल संपत्ति में अधिकार या हित नहीं बनाता है, बल्कि केवल दूसरा दस्तावेज़ प्राप्त करने का अधिकार पैदा करता है, जो

जब निष्पादित किया जाएगा, तो राहत का दावा करने वाले व्यक्ति में एक अधिकार पैदा होगा, पूर्व दस्तावेज़ को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार रंजंगम अय्यर बनाम के साक्ष्य में स्वीकार्य है। रंजनगम अय्यर, ए. आई. आर. 1922 पी. सी. 266।

25. तत्काल मामले में प्रदर्शनी बी-13 पुरस्कार एक समझौता ज्ञापन की प्रकृति में अधिक है, केवल होने वाले कदमों का एक समझौता है

भविष्य में संपत्तियों के विभाजन के लिए लिया गया। इसलिए, उक्त दस्तावेज़ को अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उक्त दस्तावेज़ के तहत किसी भी विशिष्ट संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में अधिकारों का सृजन नहीं किया गया था। अतः अपीलार्थी के विवाद के दूसरे अंग का तदनुसार उत्तर दिया जाता है।

उस पर, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुरस्कार अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं था और इसलिए इसे न्यायालय का नियम नहीं बनाया जा सकता था, पूरी तरह से गलत है। हमारे विचार में, यह पुरस्कार संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं था इसलिए इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। अतः 22 अगस्त, 1975 का आदेश ओ. पी. सं. 7 में पारित किया गया। 1972 यह अभिनिर्धारित करना कि पुरस्कार साक्ष्य में अस्वीकार्य था क्योंकि यह पंजीकृत नहीं था और इसलिए एक डिक्री पारित नहीं की जा सकी, गलत है।

27. हमारे विचार में, प्रदर्शनी बी-13 के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

28. अगला प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या 1993 के ए. एस. संख्या 37 में पहली अपीलीय अदालत का यह निष्कर्ष कि वाद संपत्तियों को वर्ष 1964 में विभाजित किया गया था, पक्षकारों पर बाध्यकारी है और के. अरुमुगा वेलाह बनाम।

पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर.

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इसलिए उसी राहत की मांग करते हुए वादी द्वारा दायर एक नया मुकदमा था रखरखाव योग्य नहीं है। ए. एस. No.37 में, अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने पर निम्नलिखित राय दी गई थीः

" उनके साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वर्ष में विभाजन होता है।

1964 और विभाजन की सूची और उन्होंने पंचायत के समक्ष एक मुचलिक्का भी लिखा है। यह निस्संदेह ज्ञात है कि चूंकि एक संयुक्त अधिकार था, इसलिए वादी द्वारा 1964 में वादी के 3 बेटों को यह स्वीकार करते हुए विभाजन किया गया था कि वाद संपत्तियां संयुक्त संपत्तियां थीं, वादी की ओर से यह दावा करना सही नहीं है कि संपत्तियां उसकी व्यक्तिगत, स्व-अर्जित संपत्तियां हैं। संपत्ति और यह भी अविश्वसनीय है।

असरार अहमद बनाम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा रखते हुए इस निष्कर्ष पर हमारे सामने सवाल उठाए जाने की कोशिश की गई है। दरगाह समिति,

अजमेर, ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 1 ने तर्क दिया कि तत्काल मामले में न्यायनिर्णायक की याचिका उत्पन्न नहीं होती है। हमने उसी पर गौर किया है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस निर्णय पर भारी निर्भरता रखते हुए तर्क दिया कि

वर्तमान मामला। 30. इस संदर्भ में, पिछली कार्यवाही और निर्णय के संबंध में न्यायपालिका के सिद्धांतों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया जा सकता हैः -

क) मथुरा में प्रसाद सरजू जयस्वाल बनाम। दोसीबाई एन. बी.

जीजीभॉय (ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 2355), यह निम्नानुसार देखा गया थाः

" 10. यह सच है कि न्यायपालिका के नियम के अनुप्रयोग का निर्धारण करने में न्यायालय का संबंध इस बात से नहीं है कि -

पहले के निर्णय की शुद्धता या अन्यथा।

सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ निर्णय विधि के प्रश्न पर होता है अर्थात एक क़ानून की व्याख्या, यह एक में न्यायिक होगा

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में "मुद्दे में मामला" अभिव्यक्ति के लिए उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही जहां कार्रवाई का कारण समान है, का अर्थ है पक्षों के बीच मुकदमा दायर करने का अधिकार अर्थात वे तथ्य जिन पर अधिकार का दावा किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है और उस मुद्दे के निर्धारण के लिए लागू कानून। हालाँकि, जहाँ प्रश्न विशुद्ध रूप से कानून का है और यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या किसी ऐसी चीज़ को मंजूरी देने के न्यायालय के निर्णय से संबंधित है जो अवैध है, तो निर्णय से प्रभावित एक पक्ष को न्यायपालिका के नियम का सहारा लेने से वंचित नहीं किया जाएगा।

रेस के नियम के तहत उस आदेश की वैधता को चुनौती देना

न्यायपालिका, प्रक्रिया के नियम के लिए कानून का स्थान नहीं ले सकती है।

भूमि से "।

मोहनलाल गोयनका बनाम। बिनॉय किशना मुखर्जी (ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 65), मुकदमेबाजी का दूसरा दौर एक ही संपत्ति के संबंध में और उन्हीं पक्षों के बीच स्वीकार किया गया था, जब पहले की मुकदमेबाजी ने निष्पादन के चरण तक भी अंतिमता प्राप्त कर ली थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बाद में निर्णय पर ऋणी को रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों को देखते हुए अधिकार क्षेत्र की याचिका उठाने से रोक दिया गया था। पैराग्राफ 23 में यह इस प्रकार थाः

" " " " 23. इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त अधिकार है कि कानून के प्रश्न पर एक गलत निर्णय भी पक्षकारों के बीच 'रेस जुडिकाटा' के रूप में कार्य करता है। न्यायिक निर्णय की शुद्धता या अन्यथा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है -

सवाल यह है कि क्या यह 'रेस जुडिकाटा' के रूप में काम करता है या नहीं।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। हेमंत कुमार भट्टाचार्जी (ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1061), एक आपराधिक अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय से संबंधित मुख्य मुद्दा, गलत 723 में।

ज्मुगा वेलैयाह बनाम। पी. आर. रामासामी और ए. एन. आर.

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

निर्णय को ए के बिना दिए गए निर्णय के बराबर नहीं माना जा सकता है।

अधिकार क्षेत्र। यहाँ तक कि एक गलत निर्णय को भी हटा दिया जा सकता है।

उच्च न्यायाधिकरणों या न्यायालयों में अपील के माध्यम से या समीक्षा के माध्यम से,

यदि कानून द्वारा प्रदान किया गया है।

हम तदनुसार मानते हैं कि उच्च न्यायालय में उचित थाप्रथम अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ विचारण बी के निर्णय

इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर वाद जारी करना। हमारे पास कोई कारण नहीं है

ई आक्षेपित निर्णय के साथ। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

पक्षों के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए, वे

एस.

अपने खर्च।

याचिका खारिज कर दी

गई।

शुभांशु दास, एलसीआरए)